114159/2023

प्रेषक,

गरिमा रौंकली
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–6 देहरादून अप्रैल,2023

विषयः उत्तराखण्ड राज्य में निजी क्षेत्र के पैरामेडिकल संस्थानों में सीट वृद्धि एवं नये पाठ्यकम संचालित करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभागाध्यक्ष/ निदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा की गयी संस्तुति के कम में सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उततराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 20.02.2023 में प्राप्त संस्तुतियों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सांईस एण्ड टैक्नोलॉजी , ग्राम मझौं, पौंधा,देहरादून** को **बी0एम0 आर0 आई0टी0–30 सीट (नवीन पाठ्यकम)** एवं **बी0पी0टी0–30 सीट (नवीन पाठ्यकम)** के साथ प्रारम्भ किये जाने की अनापत्ति शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए एतद्द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. आदेश निर्गत होने की तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र पैरामेडिकल संस्थान के द्वारा पाठ्यकम संचालन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करनी होगी। तदोपरान्त उत्तराखण्ड परा– चिकित्सा परिषद से मान्यता लेने की समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी। मान्यता हेतु आवेदन के समय निरीक्षण के दौरान यदि संस्थान में कतिपय/ आंशिक कमिंया पायी जाती हैं, तो निर्धारित मानकों के आलोक में कमियों का निराकरण करा लिये जाने के पश्चात ही उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद एवं हे0न0ग0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति/मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाए
2. संस्थानों को जिन पैरामेडिकल पाठ्यकमों हेतु अनापत्ति प्रदान की जा रही है,यदि संस्थान के द्वारा उन पाठ्यकमों में शैक्षणिक सत्र 2023–24 में प्रवेश नही लिया जाता है, तो अगले शैक्षणिक सत्र से पाठ्यकमों में प्रवेश लिये जाने हेतु शासन स्तर से पुनः अनापत्ति प्राप्त किया जाना होगा।
3. पैरामेडिकल संस्थान द्वारा बिना पाठ्यकमों के संचालन की अनापत्ति प्राप्त किये एवं बिना विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये छात्र/छात्राओं को पूर्व प्रवेश दिया जाना असवैधानिक है। ऐसे संस्थानों पर नियामानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
4. राज्य सरकार शैक्षणिक सत्र के दौरान कभी भी, जैसा कि यथासमय उचित समझे पैरामेडिकल संस्थान का निरीक्षण करायेगी। यदि निरीक्षण में कमिया पायी जाती है, तो संस्तुति तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने पर विचार करेगी।
5. जिस संस्थान के पास स्वयं का चिकित्सालय है, अपने द्वारा संचालित संस्थान के अतिरिक्त अन्य किसी संस्थान को कलीनिकल मैटिरियल, अपने टीचिग चिकित्सालयों की शैय्याये आदि की सम्बद्धता नहीं देंगे, जिससे कि इस संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राओं को समुचित प्रैक्टिकल करने की सुविधा मिले तथा व्यवसायिक वातावरण बना रहे।
6. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश एवं पूर्व निर्धारित नियमों का पालन किये जाने की बाध्यता होगी।
7. सस्थान उतनी ही सीटों पर प्रवेश दे सकेंगे जितनी सीटों के संचालन की अनापत्ति प्रदान की जा रही

है।

8. यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तों शासन द्वारा निर्गत अनापत्ति को निरस्त कर संबंधितों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
9. अनापत्ति विस्तारीकरण की कार्यवाही यथासमय नियमतः पूर्ण कर ली जाए।
10. जिन संस्थानों के पास स्वयं का भवन/चिकित्सालय नहीं है, उन्हें इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से दो साल के अन्दर स्वयं का भवन/चिकित्सालय अनिवार्य रूप से बनाना होगा।
11. उक्त शर्तों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीया,

Signed by Garima Ronkali
Date: 12-04-2023 15:01:48
(गरिमा रौंकली)
अपर सचिव।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. कुल सचिव, हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड परा– चिकित्सा शिक्षा परिषद,उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी,देहरादून।
7. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड स्टेट डेन्टिस्ट ट्रिब्यूनल,देहरादून।
8. प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक, संबंधित पैरामेडिकल संस्थान।
9. गाई फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Richa
Date: 12-04-2023 15:09:11
(ऋचा)
अनु सचिव।